न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 16/2021

अपीलार्थी– *बनाम* **उत्तरदाता–**

लहरगिरी चेला महेशगिरी बाबा रामदेव जन जीव कल्याण संस्थान, बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.12.2020 जो प्रकरण सं. 06/2020 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम, राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.08.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 06/2020 सरकार बनाम लहरगिरी मे पारित निर्णय दिनांक 28.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का बाड़मेर आगोर द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाड़मेर मगरा के खसरा नम्बर 2354/37 रकबा 22–04 बीघा गैर मुमकीन भूमि [illegible] गैर सायल बाबा रामदेव जन जीव कल्याण संस्थान [illegible] [illegible]गिरी चेला महेश गिरी कौम स्वामी निवासी बा[illegible] मन्दिर, ईंटों का प[illegible]ड व तारबन्दी कर कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी ने उक्त रिपोर्ट में विशेष नोट में यह भी उल्लेखित किया कि अतिक्रमी ने बार–बार समझाईस के उपरांत पुनः अतिक्रमण किया है, गत वर्ष 2074 में भी इस जमीन पर 04–05 बीघा पर अतिक्रमण कर कब्जा किया था। इसे गत वर्ष इस आराजी से बेदखल किया था, यह आदतन अतिक्रमी है। अतिक्रमी को एक बार बेदखल करने के बावजूद पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया हैं। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे तथा कोई जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 28.12.2020 के द्वारा 13.00 /– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ–साथ एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 31.03.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट को बहस हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये किन्तु इसके बावजूद बहस हेतु जानबूझकर बार–बार अवसर की मांग करते हुए प्रकरण को अनावश्यक रूप से विलंबित करने का प्रयास करने लगे, इस पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीयाद के परिप्रेक्ष्य में राजकीय पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested

Lon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

की बहस सुनी। अपीलांट द्वारा जरिये अपील मीमो प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं सिविल कारावास का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में आकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही पत्रावली में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा हैं, मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं मौखिक कथनों के आधार पर अपीलांट को दण्डित नहीं किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के अलावा किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये गये हैं। उक्त भूमि पर बना मन्दिर कभी भी हटाया नहीं गया और न ही अपीलांट द्वारा उक्त मन्दिर का निर्माण कराया गया हैं। खसरा नम्बर 2354/37 पर करीबन 100 वर्षों से अधिक समय से बाबा रामदेव का मन्दिर बना हुआ हैं। विवादित भूमि पर मन्दिर, सार्वजनिक प्याउ एवं कबूतरों का चबूतरा बने हुए हैं। हर साल लोग श्रद्धा भाव से मन्दिर के दर्शन करने के लिये [illegible] व राजस्थान के अन्य इलाकों से रामदेवरा पैदल जाने वाले जातरूओं [illegible] के रूकने, ठहरने के लिये रमणीय स्थान है तथा स्थानीय लोग भी मन्दिर में दर्शन पूजा–पाठ करने के लिये आते हैं। विवादित भूमि पर उक्त निर्माण कार्य भामाशाहों के सहयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाडमेर

से किया गया हैं जिसका उपयोग साधुओं व श्रद्धालुओं द्वारा किया जा रहा हैं। अतः अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया अपीलाधीन आदेश तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से खारिज योग्य हैं।

6. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत प्राप्त नहीं हुआ तथा उसके बाद लगातार कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने के कारण राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार न्यायालय में सुनवाई स्थगित रखी गई। आगामी सुनवाई की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं होने के कारण पेशी तारीख की जानकारी नहीं होने से उपस्थित नहीं हो सके। अभी प्रकरण की जानकारी होने पर दिनांक 19.03.2021 को नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया गया जो दिनांक 30.03.2021 को नकल तैयार होकर प्राप्त हुई। नकल मिलने की तारीख से अपील अन्दर मयाद पेश हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा हेतु पृथक से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 06/2020 सरकार बनाम बाबा रामदेवजी जन जीव कल्याण संस्थान में दिनांक 28.12.2020 को 1 माह का सिविल कारावास भुगतने, बेदखली एवं वसूली का पारित आदेश निरस्त किया जावें।

7. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम बाड़मेर मगरा के खसरा नम्बर 2354/37 रकबा 22–04 बीघा गैर मुमकीन में से 03–14 बीघा भूमि पर गैर सायल द्वारा एक मन्दिर, ईंटो का पक्का शेड व तारबन्दी कर कब्जा व अतिक्रमण किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामिली उपस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन प्रकरण सं. 06 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2020 के द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने आदेश पारित किया गया हैं। अपीलांट्स द्वारा इसी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा करने पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. हमने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मीमो के तथ्यों एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने विवादित भूमि पर पुराना 100 वर्षों से मन्दिर निर्मित होना एवं स्वंय उसमें लोगों के आग्रह पर पुजारी के रूप में रहना प्रकट किया हैं किन्तु उक्त मंदिर 100 वर्ष पुराना होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, बल्कि उक्त भूमि एनएच–68 पर आई हुई हैं जो करोड़ों रूपये की बेशकिमती एवं राजकीय प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आवंटित हैं। इस भूमि पर अपीलांट के साथ–साथ अन्य व्यक्ति दयालपुरी उर्फ देवाराम द्वारा भी कब्जा किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर उपस्थित रहकर दिनांक 26.12.2019 को मौके पर तारबन्दी, कबूतरों का चबूतरा, धूणा, पठाल, शौचालय, ईंटों के दो कमरे, पतरों का टीनशेड, नीवें इत्यादि अतिक्रमण जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किये गये थे। इसके पश्चात हल्का पटवारी द्वारा पुनः दिनांक 11.03.2020 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की ग[illegible] पर एक मन्दिर, ईंटों का पक्का शेड व तारब[illegible] हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध [illegible]र्यवाही संस्थित कर नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की ओर से [illegible]वक्ता उपस्थित हुए किन्तु पर्याप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब / प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित किया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के कारण उपस्थित नहीं हुए तथा पेशी की जानकारी नहीं थी। जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2020 को पारित हुआ है उससे दो माह पहले लॉकडाउन खत्म हो चुका था। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष मुतनजा भूमि पर अपने कब्जे अधीन भूमि पर हक–अधिकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा विधिवत हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांट की जानकारी में आने पर अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत उपस्थित हुए हैं जो हस्तगत अपील में भी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता मुकरर्र हैं, द्वारा आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुत करने की अण्डरटेकिंग ली गई । इसके पश्चात न तो अपीलांट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ और न ही अपीलांट स्वंय ने उपस्थित होकर प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु संस्थित कार्यवाहियों के प्रत्येक प्रक्रम में नाजायज रूप से विलम्बित करने की ही चेष्टा की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं कि अपीलांट द्वारा इसी मुतनाता भूमि पर पूर्ववर्ती वर्ष में भी अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा किया था जिस पर उसके विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर, सुनवाई उपरांत अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का [illegible] 15.11.2019 पारित किया गया एवं इस आदेश [illegible] 12.2019 को उसे मौके से बेदखल किया गया। इ[illegible] द्वारा पश्चातवर्ती वर्ष में भी अतिक्रमण किया गया हैं जिसके संबंध [illegible] उल्लेख किया है कि उसके स्वंय

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जाकर भामाशाहों के सहयोग से श्रद्धालुओं के लिये किया गया है, यह कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि के प्रावधानों के समक्ष कतई क्षम्य एवं सुसंगत प्रतिरक्षण का आधार नही हो सकता हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वंय अपीलांट को पूर्ववर्ती वर्ष में अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की हैं, इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा गैर मुमकीन राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं जो सरकारी कार्यालय हेतु आवंटित है तथा नेशनल हाईवे पर स्थित होने से करोड़ों रूपये की बेशकिमती हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि अपीलांट एक मन्दिर एवं धार्मिक भावनाओं की आड़ में 3–4 बीघा सरकारी भूमि हड़पने की नियत से बार–बार कब्जा कर रहा हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय

for जिला कलक्टर बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2020 28.2.2020 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

C.A.

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

10. निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/8/21	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 का अवलोकन किया। इस निर्णय के पद संख्या 9 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2020 के स्थान पर 28.2.2020 टंकित हो गया है। यह एक लिपिकीय भूल है जिसे स्वमेव दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अत: प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 के पद संख्या 9 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2020 को दुरुस्त किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2020 किया जाता है। तदनुसार निर्णय में लाल स्याही से दुरुस्ती की जावे। यह आदेश निर्णय दिनांक 25.08.2021 का भाग रहेगा। Sd/- जिला कलक्टर [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested